तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख इहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/4/22	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण 212 आर टी ए पर बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। हमारे द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व जवाब अप्रार्थी संख्या 1 तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत आराजी चक 15 बीजीपी खाता संख्या 11/11 खाता कर्मसिह वगैरा जमाबंदी संवत 2068–2071 सांझा खाता में कुल 4.675 है0 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें से प्रार्थीगण का कुल 0.759 है0 तथा अप्रार्थी संख्या 1 का 2.333 है0, अप्रार्थी संख्या 2 का 1.573 है0 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण का यह कथन की हमारा घरू बंटवारा हो चुका है चरण संख्या 3 अनुसार स्पेशिपक किलेजात बंटवारा में प्राप्त हुऐ है तथा उसी अनुसार काबिज है स्वीकार्य नही है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में इससे इंकार किया है तथा हमारे विचार में सांझा खाते में किसी भी रिकार्डेड काश्तकार को उसके हक–हिस्सा तक उपयोग–उपभोग से वंचित करना न्यायोचित नही है। प्रार्थीगण ने जरिये वाद पत्र खाता विभाजन का अनुतोष चाहा है जिसका अंतिम निस्तारण वाद पत्र में किया जाना है तब तक दोनो ही पक्ष विशेष किलेजात का बेचान नही करे। इसे सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पांबद किया जाता है कि वे सांझा खाता आराजी चक 15 बीजीपी खाता संख्या 11/11 खाता कर्मसिह वगैरा जमाबंदी संवत 2068–2071 में दर्ज अपने–अपने हक–हिस्सा आराजी को बेचान करने के लिए स्वंतत्र रहेगे किन्तु किलेजात विशेष का बेचान वाद पत्र अंतिम निस्तारण तक करने से निषेद्व रहेगें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दप्तर की जावे व वाद पत्र के संलग्न रहें। आदेश सुनाया गया।	